न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 71/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/89

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री सैफुद्दीन बागीदौरा निवासी तीन बत्ती के सामने बागीदौरा, बांसवाडा (विक्रेता) मैसर्स– सैफी किराणा स्टोर, मेन रोड, बागीदौरा, बांसवाडा (राज) फोन नं. 9660748125 2. श्री मितेश कुमार पुत्र शांति लाल जोशी (नोमिनी) मैसर्स– **NAVJIVAN ROLLER FLOUR & PULSE MILLS PVT LTD (UNIT 1) KUNBHARWADA, OPP. MARKET YARD, DAHOD, GUJARAT 389151 Mob No. 9426327700** 3. मैसर्सः– **NAVJIVAN ROLLER FLOUR & PULSE MILLS PVT LTD (UNIT 1) KUNBHARWADA, OPP. MARKET YARD, DAHOD, GUJARAT 389151 Mob No. 9426327700**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 19–07–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकान्त शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **25–06–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **12–06–2023** को दौराने गश्त 3.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु **मैसर्स– सैफी किराणा स्टोर, मेन रोड, बागीदौरा, बांसवाडा** पर पहुँचा तो वहाँ पर **श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री सैफुद्दीन** मिले। **विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स– सैफी किराणा स्टोर, मेन रोड, बागीदौरा, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर परिसर में **बेसन (नवजीवन) 500 ग्राम वजनी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

के 20 पैकेट रखे हुए थे। जिसको एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **बेसन (नवजीवन) के 4 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **180/-** रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **बेसन (नवजीवन) के (4 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम) के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1447** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियॉं तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/363 दिनांक 07-07-2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 659 दिनांक 27-[illegible]-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **बेसन (नवजीवन)** का न[illegible] कोड क्रमांक **W-1447** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

(राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

जिसकी सूचना विक्रेता / मालिक को दी गई। विक्रेता ने नमूने की पुनः जाँच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है।

फर्म के मालिक **श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री सैफुद्दीन** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **बेसन (नवजीवन)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **बेसन (नवजीवन) मैसर्सः– NAVJIVAN ROLLER FLOUR & PULSE MILLS PVT LTD (UNIT 1) KUNBHARWADA, OPP. MARKET YARD, DAHOD, GUJARAT 389151** का अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया।

मैसर्सः– NAVJIVAN ROLLER FLOUR & PULSE MILLS PVT LTD (UNIT 1) KUNBHARWADA, OPP. MARKET YARD, DAHOD, GUJARAT 389151 को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **बेसन (नवजीवन)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर फर्म द्वारा नोमिनी एवं सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये।

विक्रेता द्वारा **बेसन (नवजीवन)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 26–06–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 22–07–2024 को अप्रार्थीगणो ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त अपने पर लगे आरोप स्वीकार कर न्यूनतम अर्थदण्ड से दण्डित करने निवेदन किया।

आरोपीगणो की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं [illegible] अधि[illegible]री, बॉसवाड़ा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2023 / 363 दिनांक 07–07–2023 एवं खाद्य [illegible]षक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 659 दिनांक 27–0[illegible]023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **बेसन (नवजीवन)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1447**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया **बेसन (नवजीवन)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री सैफुद्दीन बागीदौरा निवासी तीन बत्ती के सामने बागीदौरा, बांसवाडा (विक्रेता) मैसर्स– सैफी किराणा स्टोर, मेन रोड, बागीदौरा, बांसवाडा (राज) को रूपये 3000/– (अक्षरे तीन हजार रुपया मात्र), श्री मितेश कुमार पुत्र शांति लाल जोशी (नोमिनी) मैसर्स– NAVJIVAN ROLLER FLOUR & PULSE MILLS PVT LTD (UNIT 1) KUNBHARWADA, OPP. MARKET YARD, DAHOD, GUJARAT व मैसर्सः– NAVJIVAN ROLLER FLOUR & PULSE MILLS PVT LTD (UNIT 1) KUNBHARWADA, OPP. MARKET YARD, DAHOD, GUJARAT को रूपये 25000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र)से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 22–07–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested